न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–बिदिशा

रामबाबू पुत्र श्री पहलवान यादव
निवासी – ग्राम मोतीगण तहसील सिरोज
जिला–बिदिशा (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1- कल्याण सिंह पुत्र श्री गोरे लाल यादव
2-- सीताराम पुत्र श्री सट्टूलाल यादव
3-- राजवीर पुत्र श्री बैजनाथ सिंह यादव
निवासीगण – ग्राम मोतीगण तहसील सिरोज जिला–बिदिशा (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 29.10.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला बिदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/ 2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम मोतीगण ग्राम पंचायत नैकान तहसील सिरोंज में ग्राम चौकीदार पहलवान सिंह पुत्र मेहताब सिंह यादव निवासी मोतीगण लगभग 35 वर्ष से चौकीदारी का कार्य कर रहे है। दो वर्ष पूर्व पहलवान सिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात् ग्राम मोतीगण में चौकीदारी का पद रिक्त होने के पश्चात् पहलवान सिंह का पुत्र रामबाबू चौकीदारी का कार्य कर रहा था। रामबाबू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन् 1913 में चौकीदारी नियुक्ति बावत् आवेदन पेश किया साथ में पहलवान सिंह का मुत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड एवं अंकसूचि एवं भाई रामकिशन माता लीलाबाई का शपथ पर कथन पेश किया एवं समर्थन में ग्राम वासियों का पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात उद्घोषणा जारी की गयी इसके बाद अनावेदक क्रमांक 2 व 3 द्वारा चौकीदारी नियुक्ति के लिये आवेदन पेश किये। तत्पश्चात् हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली गयी हल्का पटवारी द्वारा भी आवेदक के पक्ष में रिपोट पेश की तथा थाना पथरिया द्वारा भी दिनांक 24.02.2014 को रामबाबू के पक्ष में चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पेश की गयी तत्पश्चात् दिनांक 16.12.2014 को आचार संहिता लगने के कारण ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव की आवश्यकता न होना प्रकरण की आदेश पत्रिका में अंकित

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3497-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3) (40)	

नहीं किया गया एवं दिनांक 10.09.2015 का प्रकरण का पुनः कार्यवाही में लेकर